

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3883
17 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) के उद्देश्य तथा लक्ष्य

3883. श्री श्याम सिंह यादव:

श्री गिरीश चन्द्र:

श्री धमेन्द्र कश्यप:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 01.04.2014 से प्रभावी एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) में उल्लिखित उद्देश्यों में से कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) 01.04.2014 से प्रभावी आईएसएएम में उल्लिखित उद्देश्यों में से कितने उद्देश्य अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) 01.04.2014 से प्रभावी आईएसएएम में उल्लिखित उद्देश्यों में से कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं; और
- (घ) आईएसएएम में उल्लिखित उद्देश्यों में से कितने उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए हैं और उद्देश्य प्राप्त नहीं होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- (i) राज्य, सहकारी और निजी क्षेत्र के निवेशों को पार्श्वीत राजसहायता प्रदान करके कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा देना।
- (ii) वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के निर्माण को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध वित्तपोषण को बढ़ावा देना।
- (iii) किसानों को प्राथमिक प्रसंस्करण से सीधे एकीकरण के लिए समेकित मूल्य श्रृंखला (केवल प्राथमिक प्रसंस्करण के चरण तक सीमित) को बढ़ावा देना।
- (iv) किसानों को कृषि विपणन में नई चुनौतियों के लिए संवेदनशील और उन्मुखी बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग विस्तार के एक माध्यम के रूप में करना।
- (v) आवक और कीमतों के संबंध में बाजार की जानकारी और डेटा के त्वरित संग्रह और प्रसार के लिए एक राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क प्रणाली स्थापित करना ताकि किसानों और अन्य हितधारकों द्वारा इसका कुशल और समय पर उपयोग किया जा सके।
- (vi) किसानों को अपनी उत्कृष्ट उपज के लिए बेहतर और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए कृषि जिंसी के ग्रेड मानक तैयार करने और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता करना।
- (vii) कृषि व्यवसाय परियोजनाओं की स्थापना में निजी निवेश को उत्प्रेरित करना और इस प्रकार उत्पादकों को सुनिश्चित मंडी उपलब्ध कराना और उत्पादकों और उनके समूहों के साथ कृषि-व्यवसाय परियोजनाओं के पश्चवर्ती संपर्कों को मजबूत करना।
- (viii) कृषि विपणन क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार और परामर्श को शुरू करना और बढ़ावा देना।
- (ix) ई-नाम के माध्यम से एक राष्ट्रीय समेकित कृषि मंडी की स्थापना करना।

कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण से संबंधित उपर्युक्त (i) और (iii) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और समेकित मूल्य श्रृंखला (प्राथमिक प्रसंस्करण के चरण तक सीमित) को बढ़ावा देने के लिए, 4000 विपणन

अवसंरचना परियोजनाएं तैयार करने के लिए 12वीं योजना में आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध 9753 विपणन अवसंरचना परियोजनाएं तैयार की गई हैं।

उपर्युक्त उद्देश्य (ii) के संबंध में, वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के सृजन के संबंध में, इस योजना के तहत 230 लाख एमटी की लक्ष्य क्षमता के विरुद्ध 345.52 लाख एमटी भंडारण क्षमता तैयार की गई है।

उपर्युक्त उद्देश्य (iv) और (v) के संबंध में, सरकार आईएसएम की विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क उप योजना (एमआरआईएन) को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना में देश भर में फैले 3356 मंडियों का कवरेज है, जिसमें 300 से अधिक जिंसां का कवरेज है। मंडी मूल्य और आवक डेटा को एगमार्कनेट पोर्टल के माध्यम से कैप्चर किया जा रहा है और डीडी किसान मोबाइल एप्लिकेशन और किसान कॉल सेंटर जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से प्रसार किया जा रहा है।

उपर्युक्त उद्देश्य (vi) के संबंध में, सरकार किसानों को अपनी उत्कृष्ट उपज के लिए बेहतर और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए कृषि जिंसां के ग्रेड मानकों के निर्धारण और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता करने के लिए आईएसएम की उप योजना, एगमार्क ग्रेडिंग सुविधा सुदृढीकरण (एसएजीएफ) को कार्यान्वित कर रही है। अब तक, कुल 226 कृषि जिंस ग्रेड मानकों को तैयार और स्थापना के बाद से अधिसूचित किया गया है जिसमें हल्दी, शहद, क्रीमी बटर, गेहूं, आटा, बेसन आदि सहित फल, सब्जियां, अनाज, दलहन, तिलहन, वनस्पति तेल, घी, मसाले शामिल हैं।

उपरोक्त उद्देश्य (vii) के संबंध में, सरकार लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के माध्यम से उद्यम पूंजी सहायता योजना (वीसीए) कार्यान्वित कर रही है। वीसीए योजना के तहत, एसएफएसी ने दिनांक 01.04.2014 से 28.02.2020 तक की अवधि के दौरान 2002 कृषि व्यवसाय परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है।

ऊपर उद्देश्य (viii) के संबंध में, सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएम) ने 55 सर्वेक्षण और अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। इसके अलावा, एनआईएम द्वारा 880 प्रशिक्षण और सेमिनार कार्यक्रम और 96 परामर्श परियोजनाएं भी पूरी की गई हैं।

उपर्युक्त उद्देश्य (ix) के संबंध में, पारदर्शी गुणवत्ता आधारित मूल्य खोज प्रणाली प्रदान करने के लिए वास्तविक प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक विनियमित थोक मंडियों को समेकित करके राष्ट्रीय कृषि मंडी को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) नामक एक ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जो अंतर-मंडी और अंतर-राज्य व्यापार के माध्यम से कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए मध्यस्थता को कम करने में मदद करता है। लक्ष्य के अनुसार 16 राज्यों और 02 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 585 थोक विनियमित मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ समेकित किया गया है।
